प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

> 045- दूदू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री डॉ. प्रेम चन्द वैरवा पता मकान संख्या 19 श्रीनिवासपुरा वाया झाग तहसील मौजमाबाद जिला दूदू

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : राजस्थान कॉलेज जे.एल.न.मार्ग, जयपुर दिनांक 03-12-2023

(युगान्तर)
रिटर्निंग ऑफिसर
045- दूदू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दूदू
(युगान्तर)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दूदू-0 ÷ 5 (अ.जा.)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू)

FORM - 21 C

(See. rule 64) (For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the 045 DUDU Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that --

Shri Dr. PREM CHAND BAIRWA HOUSE NO 19 SHRINIWASPURA VIA JHAG TEHSIL MOZMABAD, DISTT. DUDU

Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place: Rajasthan College J.L.N Marg, Jaipur

Dated: 03-12-2023

(Yugantar)

Returning Officer 045- Dudu Assembly Constituency

Sub divisional Magistrate & Standard Officer Dudu Returning Officer

Assembly Constituency Dudu-045 (SC)

(Sub Divisional Officer & Sub

Divisional Magistrate, Dudu)